HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous (Petition) No. 2600/2026

Islamuddin Son Of Shri Haji Saddiq Ahmed, Resident Of Ward No. 6, Mev Mohalla, Punhana, P.s. Punhana, District Nuh ,mewat,haryana.

----Petitioner

Versus

1. State Of Rajasthan, Through P.P.
2. Babulal Son Of Parashuram, Resident Of Ghera, P.s. Nadbai, District Bharatpur.

----Respondents

For Petitioner(s)	:	Mr. D. K. Dixit, Adv. Mr. Mahendra Shandilya, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Manvendra Singh Shekhawat, PP

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Order

27/04/2026

विद्वान अधिवक्ता याची–अभियुक्त का निवेदन है कि अभियुक्त को सम्यक रूप से आरोप पत्र प्रस्तुत करने की जानकारी नहीं दी गई थी, अभियुक्त को मफरूर घोषित करते हुए विधिक प्रक्रिया नहीं अपनाई गई तथा दिनांक 12.02.2019 से 03.03.2023 तक वह अन्य प्रकरण में कारागार में निरूद्ध था, अतः उपरोक्त आधारों पर जारीशुदा अजमानतीय वारण्ट को चुनौती दी गई है।

अभियुक्त के विरूद्ध धारा 395, 397 व 307 भा.दं.सं. के आरोप में आरोप पत्र धारा 299 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत विचारण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

कुछ देर बहस करने के उपरांत विद्वान अधिवक्ता याची–अभियुक्त का निवेदन रहा कि वे अीियुक्त को विचारण न्यायालय में दस दिवस में समर्पित

कर देंगे और इस दौरान जारीशुदा अजमानतीय वारण्ट को स्थगित किया जावे।

कानूनी जटिलताओं में जाने और उन पर विवेचन करने के बजाय संपूर्ण परिस्थितियों को देखते हुए दिनांक 08.05.2026 तक याची–अभियुक्त द्वारा विद्वान विचारण न्यायालय में समर्पण किया जाता है, तो उसके विरूद्ध जारीशुदा अजमानतीय वारण्ट के निष्पादन की कार्यवाही को स्थगित रखा जाता है। उपरोक्त तारीख तक यदि अभियुक्त द्वारा समर्पण नहीं किया जाता है, तो जारीशुदा वारण्ट पुनः प्रभाव में आ जायेगा।

विचारण न्यायालय से यह अपेक्षा की जाती है कि अभियुक्त द्वारा समर्पण किये जाने पर उसके द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन पर संबंधित पक्षों को सुनकर विधिनुसार यथासंभव उसी दिन निस्तारण करने का प्रयास करें।

इसी अनुसार याची–अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत यह याचिका निस्तारित की जाती है तथा स्थगन आवेदन भी उक्तानुसार निस्तारित किया जाता है।

(UMA SHANKER VYAS),J

DINESH KUMAWAT /72